

पत्रांक / / आयु०कर उत्तरा०/वाणि०क०/विधि-अनुभाग/पत्रा० / 12-13/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि-अनुभाग)

दिनांक: देहरादून 12 सितम्बर 2013

समस्त डिप्टी कमिशनर, वाणिज्य कर
समस्त असिस्टेन्ट कमिशनर वाणिज्य कर
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विज्ञप्ति
(वैट नियम 23 के उपनियम (3) अन्तर्गत)

व्यापारियों की कठिनाईयों को देखते हुए, मुख्यालय द्वारा जारी विज्ञाप्ति सं० 2285/ आयु०करउत्तरा०/वाणि०क०/पत्रा०-01/विधि-अनुभाग/13-14/दे०दून दिनांक 08-08-2013 के क्रम में राजस्व की सुरक्षा के दृष्टिगत निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 08-08-2013 से पूर्व, कर निर्धारण कार्यालयों से जारी सादे (blank) प्रपत्र-11 को क्रेता व्यापारी द्वारा पूर्व के किसी वित्तीय वर्ष के लिए विक्रेता व्यापारी को जारी किए जाने की दशा में, विक्रेता व्यापारी को, अनियततारित कर निर्धारण के मामलों में, ऐसे प्रपत्र-11 के आधार पर कर की दर में रियायत, निम्न परिस्थिति में अनुमन्य की जा सकती है:-

1— ऐसे प्रपत्र-11, जो रुपये 5 लाख धनराशि से अधिक के सम्ब्यवहारों के लिए जारी विद्या गया हो, पर देय कर में रियायत, इस शर्त के साथ दी जा सकती है कि फार्म-11 प्रत्युत लिए जाने से पूर्व, क्रेता व्यापारी के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा फार्म की प्रविष्टियों का सत्यापन कर दिया गया हो।

(सौजन्य)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ०प००२६९) दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2— महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।
- 3— सलाहकार कर, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 4— एडिशनल कमिशनर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/ कुमाऊं जोन रुद्रपुर।
- 5— एडिशनल कमिशनर (आडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
- 6— ज्वाइन्ट कमिशनर(कार्य०) वाणिज्य कर, देहरादून/ हरिद्वार/ काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश

के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/बार एसोसियेशन के बदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

- 7— ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
- 8— ज्वाइन्ट कमिश्नर(विंशतीनु०शा०/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, /हरिद्वार/रुद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 9— श्री रोशन लाल, डिप्टी कमिश्नर(क०नि०-३) देहरादून एवं Web-Information Officer को NIC एवं विभागीय Website पर Update करने हेतु।
- 10— निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रुड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।
- 11— आई०टी०—अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दें।
- 12— Intavati Info. Pvt. 4 फ्लैट मैनर 1Ind Floor 13— आर० सिंधुआ मार्ग मुम्बई-400001 महाराष्ट्र।
- 13— National Law House बी-२ भॉर्डर्स प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
- 14— National Law and Management House १५/५ राजनगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
- 15— Swastk Publication एस०ई-२३३, शास्त्री नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
- 16— Law Book Traders १०—नगर निंगम कम्पाउण्ड केसरगन्ज रोड मेरठ ३० प्र०।
- 17— डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर, नैनीताल।
- 18—अध्यक्ष इण्डरस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सत्या इण्डरस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
- 19— प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड देहरादून।
- 20— दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड देहरादून।
- 21— प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेंडिंग कम्पनी
- 81— मोती बाजार देहरादून।
- 22— The whole sale dealers Association १४— आढ़त बाजार देहरादून।
- 23— प्रान्तीय इण्डरस्ट्रीज एसोसिएशन २२२/५ गांधी ग्राम देहरादून।
- 24— कार्यालय अधीक्षक/विधि—अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।
- 25— शोध अनुभाग/स्थापना— अनुभाग मुख्यालय हेतु।
- 26— समस्त अनुभाग अधिकारी/अनुभाग।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।